

प्रेषक,

निवेदिता शुक्ला वर्मा,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,  
खाद्य एवं रसद विभाग,  
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
2. महाप्रबन्धक,  
भारतीय खाद्य निगम,  
टी0सी0/3बी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ।
3. निदेशक,  
मण्डी परिषद,  
उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।
6. समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,  
उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक,  
उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम  
लि0, लखनऊ।
8. अधिशासी निदेशक,  
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,  
जवाहर भवन, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक,  
उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0,  
32, स्टेशन रोड, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक,  
उ0प्र0 को-ऑपरेटिव यूनियन लि0,  
(पी0सी0यू0) लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक,  
यू0पी0 स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0,  
विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
12. निबन्धक,  
सहकारी समितियाँ, उ0प्र0।
13. शाखा प्रबन्धक,  
भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ  
मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0), बी0-4, एच0  
रोड, महानगर, लखनऊ।
14. शाखा प्रबन्धक,  
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ  
मर्यादित (नैफेड) अलीगंज, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-4

लखनऊ:: दिनांक 11 अक्टूबर, 2018

विषय:- खरीद विपणन वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत नोडल अधिकारियों की तैनाती।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद की व्यवस्थाओं की स्थलीय समीक्षा एवं क्रय केन्द्रों के निरीक्षण हेतु निम्नलिखित सम्भागों/जनपदों में उनके सम्मुख अंकित अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0	सम्भाग/जनपद का नाम	नोडल अधिकारी का नाम व पद	मो0नं0
1-	लखनऊ सम्भाग	श्री शशिभूषण लाल सुशील, सचिव, उ0प्र0 शासन।	9554962100
2-	मुरादाबाद सम्भाग	श्री अखंड प्रताप सिंह, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।	8859335347
3-	बरेली सम्भाग	श्री अभिषेक सिंह, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।	7579283440

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4-	फैजाबाद सम्भाग	श्री राम यज्ञ मिश्र, अपर आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र०	9450756788
5-	बस्ती एवं देवीपाटन सम्भाग	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० एग्रो।	9415150100
6-	कानपुर सम्भाग	श्री पी०के० उपाध्याय, प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०एफ०।	8127555577
7-	गोरखपुर सम्भाग	श्री आलोक दीक्षित, कार्यकारी निदेशक, पी०सी०एफ०	9473901964
8-	वाराणसी एवं मिर्जापुर सम्भाग	श्री अशोक कुमार सिंह, अपर आयुक्त (विपणन)	9415003971
9-	इलाहाबाद सम्भाग	श्री कृपाशंकर, अपर निबन्धक क्रय विक्रय, आयुक्त एवं निबन्धक कार्यालय।	9454779423
10-	आजमगढ़ सम्भाग	श्री के०एस० पाण्डेय, वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।	9451246385
11-	मेरठ एवं सहारनपुर सम्भाग	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, कार्यकारी निदेशक, कर्मचारी कल्याण निगम।	7522070707
12-	चित्रकूट एवं झाँसी सम्भाग	श्री सन्तोष कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन।	7985509547
13-	आगरा एवं अलीगढ़ सम्भाग	श्री ए०के० सिंह, कार्यकारी निदेशक, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०एफ०	9451245470

2- उपर्युक्त नामित नोडल अधिकारियों को चेक लिस्ट संलग्न कर प्रेषित करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि धान क्रय केन्द्रों के निरीक्षण हेतु संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार माह में कम से कम एक बार अपने-अपने नामित जनपदों में भ्रमण, स्थलीय पर्यवेक्षण व समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार धान की खरीद एवं भण्डारण का कार्य किया जा रहा है या नहीं। नोडल अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि किसानों का उनका उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है, उन्हें धान विक्रय करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है तथा जनपदों में डिस्ट्रेस सेल की कोई समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त क्रय धान से निर्मित चावल का केन्द्रीयमूल में भण्डारण की भी समीक्षा की जायेगी। इस सम्बन्ध में यदि कोई कठिनाई या समस्या संज्ञान में लायी जाती है तो उसका उचित निराकरण सक्षम अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा। जिलाधिकारी व जनपद/मण्डल के अधिकारी भी समस्याओं के समाधान हेतु नोडल अधिकारी से सम्पर्क कर सकेंगे। नामित नोडल अधिकारी जिला भ्रमण/निरीक्षण में क्रय व भण्डारण संस्थाओं के जिला व सम्भाग स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर समस्याओं का निराकरण भी करायेंगे। भ्रमण के पश्चात नोडल अधिकारी अपनी रिपोर्ट खाद्यायुक्त तथा शासन को उपलब्ध करायेंगे। नामित नोडल अधिकारी जनपद भ्रमण के समय जिलाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष पर अवश्य सम्पर्क करके खरीद की स्थिति एवं समस्या से अवगत करायेंगे। इसी प्रकार मण्डल मुख्यालय के जनपद भ्रमण के समय मण्डलायुक्त से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर खरीद की स्थिति से अवगत करायेंगे।

शासन तथा खाद्यायुक्त कार्यालय से नामित जिन नोडल अधिकारियों के पास राजकीय वाहन नहीं है, उन्हें वाहन की उपलब्धता आयुक्त, खाद्य तथा रसद द्वारा की जायेगी। नामित नोडल अधिकारियों के ठहरने आदि की व्यवस्था सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीया,

(निवेदिता शुक्ला वर्मा)

प्रमुख सचिव।

संख्या:-4/2018/1310(1)/29-4-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त नोडल अधिकारी।
- 2- समस्त संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी (द्वारा संभागीय खाद्य नियंत्रक)।
- 3- समस्त संभागीय वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग (द्वारा संभागीय खाद्य नियंत्रक)।
- 4- अपर आयुक्त (विपणन), खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ।
- 5- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि/सहकारिता, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)  
अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में धान क्रय केन्द्रों के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट

1	क्रय केन्द्र समय से खुला अथवा नहीं।	
2	बैनर- है/नहीं, बैनर में एम0एस0पी0 एवं टोल फ्री नम्बर का प्रदर्शन है/नहीं।	
3	वर्षा से धान की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में केन्द्र पर क्रेट्स/त्रिपाल है/नहीं।	
4	क्रय केन्द्र पर किसानों की सुख-सुविधा हेतु शामियाना, पानी, दरी, लोटा, बाल्टी की व्यवस्था है/नहीं।	
5	क्रय केन्द्र पर धान की सफाई हेतु विनोईंग फैन, दो जाली का छलना एवं नमी मापक यंत्र उपलब्ध है/नहीं।	
6	क्रय केन्द्र पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा-बांट सही/सत्यापित है/नहीं।	
7	क्रय केन्द्र पर धान का मानक नमूना प्रदर्शित है/नहीं।	
8	क्रय केन्द्र पर खरीद हेतु पर्याप्त संख्या में बोरे उपलब्ध हैं/नहीं।	
9	धान से भरे बोरों पर निर्धारित कोड का अंकन किया गया अथवा नहीं।	
10	क्रय केन्द्र पर खरीद से संबंधित अभिलेख उपलब्ध हैं/नहीं।	
11	टोकन दिया जा रहा है, टोकन पंजिका अद्यावधिक है अथवा नहीं।	
12	लक्ष्य के सापेक्ष धान खरीद की स्थिति।	
13	क्रय केन्द्र द्वारा किसानों को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से क्रय के 72 घण्टे के अन्दर भुगतान किया जा रहा है या नहीं।	
14	क्रय केन्द्र पर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है/नहीं।	
15	क्रय केन्द्र द्वारा कृषकों को नियमित भुगतान किया जा रहा है/नहीं।	
16	क्रय वास्तविक किसानों के माध्यम से ही किया जा रहा है, बिचौलियों की सक्रियता तो नहीं है।	
17	क्रय केन्द्र द्वारा क्रय पंजिका में कृषकों के मोबाइल/फोन नम्बर अंकित किये जा रहे हैं/नहीं।	
18	क्रय केन्द्र पर घटतौली या कम भुगतान की शिकायत तो नहीं है? यदि घटतौली अथवा कम भुगतान की शिकायत प्रायी जाए तो शिकायत की जाँच कराकर शिकायत की पुष्टि होने के उपरान्त दोषी केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।	
19	ई-उपार्जन हेतु लैपटॉप, आई पैड/नेट कनेक्शन की उपलब्धता	
20	ई-उपार्जन के माध्यम से केन्द्र पर धान खरीद की जा रही है अथवा नहीं।	
21	चावल हलिंग हेतु सम्बद्ध मिल का नाम, अनुबन्ध व बैंक गारण्टी/ क्षतिपूर्ति बाण्ड की स्थिति	
22	क्रय केन्द्र पर उपस्थित किसानों के नाम व उनकी शिकायत/सुझाव।	
23	भारतीय खाद्य निगम को डिलीवरी, एक्वालेजमेंट, बिलिंग व भुगतान की स्थिति।	
24	मण्डियों के केन्द्रों पर नीलामी की स्थिति।	
25	उतराई, छनाई, सफाई के मद में कृषकों को देय धनराशि रू0 20 प्रति कुं0 आर0टी0जी0एस0 की जा रही है अथवा नहीं।	
26	निरीक्षण के समय अन्य अनियमितता जो प्रकाश में आये।	

नोडल अधिकारी का  
नाम व पदनाम।